



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]  
No. 422]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2008/श्रावण 8, 1930  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2008/SRAVANA 8, 1930

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार आयोजना और सम्न्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 564(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार यंत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान यंत्र (आर एफ आई डी) के लिए 865 से 867 मेगाहर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान यंत्र (आर एफ आई डी) के लिए 865 से 867 मेगाहर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान यंत्र (आर एफ आई डी) के लिए 865 से 867 मेगाहर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. 865 से 867 मेगाहर्ट्ज तक के बैंड में बेतार उपस्कर का उपयोग.—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्निहित किसी बात को छोड़ते हुए भी, किसी भी व्यक्ति से अव्यतिकरण पर कोई अन्य अल्पशक्ति बेतार यंत्र असंरक्षित और सम्मिलित (गैर-विशिष्ट) आधार पर 865 से 867 मेगाहर्ट्ज तक के

आवृत्ति बैंड में अधिकतम 1 वाट ट्रांसमीटर शक्ति, 4 वाट की प्रभावी विकिरित शक्ति और 200 किलो हर्ट्ज की संवाहक बैंडविधुत युक्त रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान यंत्र (आर एफ आई डी) की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यवहार करने के लिए कोई अनुज्ञापन अपेक्षित नहीं होगी।"

[सं. आर.-11014/23/2004-एल आर]

आर. के. सक्सेना, उप बेतार सलाहकार

टिप्पणः—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 168(अ), तारीख 11 मार्च, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ), तारीख 22 जनवरी, 2007 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2008

G.S.R. 564(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Use of low Power Equipment in the Frequency Band 865-867 MHz for (RFID) Radio Frequency Identification Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Use of low power Equipment in the frequency band 865-867 MHz for (RFID) Radio Frequency Identification Devices (Exemp-

tion from Licensing Requirement) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Use of low power Equipment in the frequency band 865-867 MHz for (RFID) Radio Frequency Identification Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Use of wireless equipment in the band 865-867 MHz.—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work possess or deal in Radio Frequency Identification

Devices (RFID) or any other low power wireless devices or equipments, on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, in the frequency band 865-867 MHz with maximum 1 Watt transmitter power, 4 Watts Effective Radiated Power and 200 KHz carrier bandwidth.”

[No. R-11014/23/2004-LR]

R. K. SAXENA, Dy. Wireless Adviser

**Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 168(E), dated the 11th March, 2005 and subsequently were amended *vide* notification number G.S.R. 37(E), dated the 22nd January, 2007.